

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ

दिनांक :- 4/11/2025

क्रमांक / राजस्व / 25 / 1132

आदेश

प्रार्थीया सुनिता बाई पुत्री छिन्दोबाई के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मुताबिक तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि वे 4 टीएलडब्ल्यू के खाता सं० 109/99 में निम्नानुसार संशोधन कर राजस्व रिकोर्ड में अंकन करें।

ग्राम/चक	खाता सं०	वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि	राजस्व रिकोर्ड में अंकन की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि
4 टीएलडब्ल्यू	109/99	सुनिता रानी पुत्र छिन्दोबाई	सुनिता बाई पुत्री छिन्दोबाई

इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी,
टिब्बी

प्रतिलिपि :-

क्रमांक :- 1133, 1135 / 2025

1. तहसीलदार टिब्बी को भेजकर लेख है यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो राजस्व रिकोर्ड में पालना की जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री सुनिता बाई पुत्री छिन्दोबाई को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

दिनांक :- 4/11/2025

उपखण्ड अधिकारी,
टिब्बी